

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १२६]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल ५, १९६९/चैत्र १५, १८९१

No. १२६]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1969/CHAITRA 15, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

(T.A.E.P. Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1969

E.O. 1395.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) Order, 1966 namely:—

1. This Order may be called the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) (First Amendment) Order, 1969.

2. In clause 2 of the Essential Commodities (Regulation of Production and Distribution for Purposes of Export) Order, 1966 in sub-clause (e), after the word 'making', the words 'or packing' shall be inserted.

[No. 1(1)/63-T.A.E.P.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy

विदेशी व्यापार तथा प्रार्थित संज्ञा

(विदेशी व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1969

एस० नो० 1396.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादन और वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादन और वितरण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 1969 कहा जा सकेगा।

2. आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादन और वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) में 'बताने' शब्द के पश्चात् "या पैक करने" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[सं० 1(1)/68-टी०ए०ई०पी० प्रगुभाब]

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव।